



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266423
CG-DL-E-25092025-266423

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947

No. 633]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

सं. 40/2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 717(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

(i) क्रम संख्या 597 के समक्ष, कॉलम (3) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“बशर्ते कि मद (i) 30 सितंबर, 2025 के बाद प्रभावी नहीं होगा।

बशर्ते कि मद (iii) और (v) 30 सितम्बर, 2027 के बाद प्रभावी नहीं होंगे।”।

(ii) क्रम संख्या 598 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2025" के स्थान पर, अंक, "2027" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 601 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2025" के स्थान पर, अंक, "2027" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 602 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2025" के स्थान पर, अंक, "2027" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 603 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक, "2025" के स्थान पर, अंक, "2027" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2025 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 190352/02/2023-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- दिनांक 30 जून, 2017 की मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार दिनांक 17 सितम्बर, 2025 की अधिसूचना संख्या 39/2025-सीमा शुल्क, जिसे सा.का.नि. 643 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2025

No. 40/2025-Customs

G.S.R. 717(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) against S. No. 597, in column (3), for the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

“Provided further that item (i) shall cease to have effect after 30th September, 2025:

Provided also that items (iii) and (v) shall cease to have effect after 30th September, 2027.”;

(ii) against S. No. 598, in column (3), for the figures, “2025”, the figures, “2027” shall be substituted;

(iii) against S. No. 601, in column (3), for the figures, “2025”, the figures, “2027” shall be substituted;

(iv) against S. No. 602, in column (3), for the figures, “2025”, the figures, “2027” shall be substituted;

(v) against S. No. 603, in column (3), for the figures, “2025”, the figures, “2027” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 30th September, 2025.

[F. No.190352/02/2023-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 39/2025-Customs, dated the 17th September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.643(E), dated the 17th September, 2025.